संख्या :255/49-3-2010-100(24)/2008

(2)

प्रेषक,

मोहन लाल
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निबन्धक
सहकारी समितियां उ0प्र0
लखनऊ ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ :: दिनांक 19 फरवरी, 2010

विषय:--चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या--18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में खरीफ एवं रबी फसलों के रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष माह अप्रैल,मई एव जून,2009 में पीसीएफ द्वारा किये गये व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2317/बीज-उर्वरक/डी-68, दिनांक 20जनवरी, 2010 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत हेतु यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 के आयोजनेत्तर पक्ष में मूल बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 15,30,00 हजार (पन्द्रह करोड़ तीस लाख) तथा प्रथम अनुपूरक मॉग 2009 के माध्यम से आय-व्ययक 2009-10 में प्राविधानित धनराशि रू0 117097 हजार(ग्यारह करोड़ सत्तर लाख सत्तानवे हजार), जिसका कुल योग रू0 270097 हजार (सत्ताइस करोड़ सत्तानवे हजार) होता है, के सापेक्ष यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 लखनऊ द्वारा माह अप्रैल,मई एव जून,2009 में उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण पर देय ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की मद पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :-

धनराशि रूपये में

माह का नाम	देय ब्याज	भण्डारण शुल्क	कुल योग
अप्रैल,2009	93,74,547/--	3,55,470/--	97,30,017/--
मई,2009	57,31,300/--	15,95,739/--	73,27,039/--
जून,2009	95,73,008/--	30,82,474/--	1,26,55,482/--
योग	2,46,78,855/--	50,33,683/--	2,97,12,538/--

2-- उपरोक्तानुसार माह अप्रैल,मई एव जून, 2009 में देय ब्याज की मद में रू0 2,46,78,855/--(दो करोड़ छियालिस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ पचपन) तथा भण्डारण शुल्क की मद में व्यय की धनराशि रू050,33,683/-- (पचास लाख तैंतीस हजार छः सौ तिरासी) जिसका कुल योग रूपये 2,97,12,538/--(दो करोड़ सत्तानवे लाख बारह हजार पॉच सौ अड़तीसमात्र)

--2/--

होता है, की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है । अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय ।

(2) उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन / महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009—10 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425—सहकारिता—आयोजनेत्तर—00—800—अन्य व्यय—05—रासायनिक उर्वरको का अग्रिम भण्डारण योजना—00—27—सब्सिडी " के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई—2—91 / दस—2010, दिनांक 18 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

संख्या—255(1) / 49—3—2010—तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
3— वित्त नियंत्रक, निबंधक, सहकारी समितियाँ उ0प्र0 लखनऊ ।
4— वित्त (व्यय— नियंत्रण) अनुभाग—2 / वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
5— प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0 लखनऊ ।
6— गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र सिंह) 19/2/10
संयुक्त सचिव।